

प्र.सं. / दावा / प्र.पत्र /

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

11/25

वकीलवादी उप० | बहस एक फीम सुनी जारी
पत्रावली वास्ते आदेश दि० 7/11/25 को पेश
हो |

५५

7/11/25

पेश हुई अभिभावक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रावण
मास की कारी राज्य कार्यवाही बाहर दौर में तशरीफ रखते हैं
कार्य में व्यस्त है। अभिभावक मण कन्डोलेंस पर है। अतः
कार्यवाही हेतु दिनांक 12/11/26 को पेश -

12/11/26

11/12/25

पेश हुई अभिभावक समय पक्ष उपस्थित है। आज श्रावण
मास की कारी राज्य कार्यवाही बाहर दौर में तशरीफ रखते हैं।
कार्य में व्यस्त है। अभिभावक मण कन्डोलेंस पर है। अतः
कार्यवाही हेतु दिनांक 12/11/26 को पेश -

५५

22/11/26

पत्रावली पेश हुई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने
प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण के सहस्रातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खाता सं० नया 360
पुराना 335 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार क्षेत्र लाडपुर खाता सं० नया 276
पुराना 260 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार क्षेत्र लाडपुर में प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण का हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वाद वर्णित पर अपने
अपने हिस्से पर काबिज काश्त है किन्तु उक्त भूमि का अभी विधिवत बटवारा
नहीं हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से कई बार बटवारा कराने हेतु कई
बार निवेदन किया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बटवारा करने से मना कर दिया।
यही वाद कारण है। अतः अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के विधिवत बटवारा
होने तक किसी भी भू-भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे, कब्जे काश्त में किसी
प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वाद वर्णित
आराजी में अपने हिस्से पर काबिज काश्त है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की
कृषि भूमि पर कभी कब्जा नहीं किया ना ही कब्जा काश्त में कोई व्यवधान
उत्पन्न किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहस्रातेदार होने से अप्रार्थीगण
के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थना पत्र प्रार्थी
सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं बहस उभय पक्ष पर मनन करने
पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वाद वर्णित कृषि भूमि खाता सं० नया
360 पुराना 335 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार क्षेत्र लाडपुर खाता सं० नया
276 पुराना 260 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार क्षेत्र लाडपुर में प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण सहस्रातेदार है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य बटवारा बाबत

५५

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

विवाद है जिसका निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तय होना है एवं मूल वाद के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना के मध्यनजर सहखातेदार पक्षकारान् के मध्य शान्ति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं० नया 360 पुराना 335 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार क्षेत्र लाडपुर खाता सं० नया 276 पुराना 260 वाके ग्राम भूमाखेडा पटवार क्षेत्र लाडपुर में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में एक दुसरे को विधिवत बटवारा होने तक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कृत्य परस्पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो ही ना करे ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

WY